पुस्तकालय

(2)

2676
18/12/08

सत्यमेव जयते

असंशोधित

8 DEC 2008

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्रें०सं० 175 तिथि 17-12-08

48—मोनो—1,000

अध्यक्ष : बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय (प्रबंध एवं नियंत्रण ग्रहण) अधिनियम-१९८१ की धारा-१५(२) के तहत् उपर्युक्त नियमावली सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेंगी।

माननीय मंत्री मानव संसाधन विकास विभाग।

श्री हरिनारायण सिंह,मंत्री : महोदय, मैं प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित अधिनियम, नियम आदि बिहार गैर सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम, १९७६ की धारा-७(२) के तहत् "बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्ता) (संशोधन) नियमावली, २००८" एवं "बिहार नगर निकाय प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) (संशोधन) नियमावली, २००८" की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(पटल पर रखा गया।)

अध्यक्ष : प्रारम्भिक शिक्षा से संबंधित अधिनियम, नियम आदि बिहार गैर सरकारी प्रारम्भिक विद्यालय (नियंत्रण-ग्रहण) अधिनियम, १९७६ की धारा-७(२) के तहत् उपर्युक्त नियमावली सदन के पटल पर चौदह दिनों तक रखी रहेगी।

माननीय प्रभारी मंत्री।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह,मंत्री : महोदय, मैं बिहार पंचायत राज अधिनियम, २००६ की धारा १४६(२) के तहत् बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, २००८ की प्रति को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(पटल पर रखा गया।)

विधान सभा समितियों के प्रतिवेदन।

अध्यक्ष : सभापति, निवेदन समिति।

श्रीमती अश्वमेध देवी, सभापति, निवेदन समिति : महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम- २११ (i) के तहत् बिहार विधान सभा की निवेदन समिति का ६३वाँ एवं ६४वाँ प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

(पटल पर रखा गया।)

याचिकाओं का उपस्थापन।

अध्यक्ष : सभा सचिव।

सभा सचिव : श्रीमान्, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम २६७ के अन्तर्गत मुझे प्रतिवेदित करना है कि विभिन्न विषयों के संबंध में पटल पर रखे गये विवरण के अनुसार २४ याचिकाएं प्राप्त हुई हैं।

अध्यक्ष : अब गैर-सरकारी संकल्प लिये जायेंगे।

क्रमांक-१, श्री लालबाबू राय।

श्री लाल बाबू राय : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सारण जिलान्तर्गत मढ़ौरा प्रखंड के १९४२ में स्थापित मध्य विद्यालय मुबारकपुर तथा अमनौर प्रखंड के मदारपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय बाँसडीह को व्यापक जनहित में उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करें।"

महोदय, जिन विद्यालयों की चर्चा हमने अपने प्रस्ताव में यहां की है, सरकार की मंशा भी है कि मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करते हुए जनसंख्या के हिसाब से मध्यविद्यालय की संख्या उत्क्रमित करके मध्यविद्यालय में किया जाय और अस्मिता के हिसाब से ये दोनों विद्यालय जहां पर अवस्थित हैं वे काफी वीरान जगह पर अवस्थित हैं, खासकर के अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, अगल-बगल में छः कि०मी० के रेंज में कहीं पर विद्यालय नहीं हैं। यह जो प्रस्ताव सरकार का आया तो बड़ी खुशी हुई कि मध्यविद्यालय हाईस्कूल बन जाते हैं तो वहां के छात्रों को काफी सहूलियत होगी। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इन दोनों विद्यालयों को उत्क्रमित करने की कृपा करें।

अध्यक्ष : ठीक है, आप बैठिए।

श्री हरिनारायण सिंह, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मध्य विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उक्त प्रस्ताव पर स्पष्ट निदेश सत्र होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य माननीय मंत्री की आश्वासन पर अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री लालबाबू राय : मंशा भी है और क्षेत्र का ज्ञान भी है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि जब भी इस तरह की प्रक्रिया आरंभ होती है मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करने की तो क्या वे इस विद्यालय को उत्क्रमित करेंगे ?

श्री हरिनारायण सिंह,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि जैसे ही यह कार्यक्रम किया जायेगा निश्चित रूप से हम उसपर कार्रवाई करेंगे।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री लालबाबू राय : वापस लेते हैं।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से श्री लालबाबू राय जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांक-२, श्री नीरज कुमार सिंह,"बबलू"

श्री नीरज कुमार सिंह,"बबलू" : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि मधेपुरा जिला के बिहारीगंज प्रखंड से पूर्णियां जिला के बड़हारा कोढ़ी प्रखंड तक आवागमन के लिए पक्की सड़क का निर्माण करावे।"

श्री वृषिण पटेल,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभिस्तावित पथ की कुल लंबाई लगभग १३.२५ कि०मी० है जिसमें ३.२५ कि०मी० मधेपुरा जिला में एवं शेष १० कि०मी० पूर्णियां जिला के अधीन है। मधेपुरा जिला का ०.७५ कि०मी० भाग कालीकृत है, शेष १.७५ कि०मी० ईंट सोलिंग पथ है। पूर्णियां जिला का ३ कि०मी० भाग प्रधानमंत्री सड़क योजना के प्रथम चरण में निर्मित है, यानी शेष ७ कि०मी० भाग प्रधानमंत्री सड़क योजना के मिसिंग लिंक में चयनित है। जिसके शेष पथांश में डी०पी०आर० तैयार करने का निदेश दिया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति पर सरकार आनेवाले वित्तीय वर्ष २००८-०९ में निधि की उपलब्धता पर विचार करेगी। वर्णित स्थिति में माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस संकल्प को वापस ले लें।

क्रमांक २ श्री नीरज कुमार सिंह 'बबलू' का क्रमश

श्री नीरज कुमार सिंह 'बबलू': अध्यक्ष महोदय यह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है । इस सड़क से लगभग ४-५ लाख लोगों को पूर्णिया जिला जाने आने की सुविधा होती है । दो विधान सभा आलमनगर विधान सभा और उदाकिशनगंज विधान सभा के लोग इसी रास्ते से पूर्णिया को जा सकते हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय हम चाहेंगे कि समय सीमा मंत्री जी तय कर दें कि कब तक यह सड़क बन पायगा ।

श्री वृषिण पटेल,मंत्री:अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है कि ०८-०९ में निधि की उपलब्धता के आधार पर हम उसको प्रायोरिटी सूची में लेंगे ।

अध्यक्षः आग्रह कीजिये ।

श्री वृषिण पटेलः आग्रह कर दिया कि वे संकल्प वापल ले लें ।

श्री नीरज कुमार सिंह, 'बबलू': अध्यक्ष महोदय, निधि की उपलब्धता का क्या मतलब है ?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेना चाहते हैं ?

श्री नीरज कुमार सिंह'बबलू': प्रस्ताव तो वापस ले ही लेगें महोदय लेकिन मंत्री जी तय कर दें कि बनना कब होगा । निधि की उपलब्धता से गड़बड़ हो जाएगा । निधि की उपलब्धता का क्या मतलब है ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि ०८-०९ में निधि की उपलब्धता के आधार पर विचार करेंगे ।

श्री नीरज कुमार सिंह'बबलू': लेकिन लग गया शब्द निधि की उपलब्धता ।लेकिन जो लगया गया है महोदय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री महोदय ।

श्री वृषिण पटेल,मंत्रीः बाकी सड़कों का तो निर्माण हो ही चुका है । माननीय सदस्य जो चिंतित है सरकार भी इसके लिए चिंतित है । लेकिन सवाल है कि क्या आवश्यकता पड़ेगी हम इसको निधि की उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता देकर इसको करायेंगे ।

अध्यक्षः प्राथमिकता देकर ।

क्या मा० सदस्य, नीरज जी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री नीरज कुमार सिंह 'बबलू': ठीक है, वापस लेते हैं ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से श्री नीरज कुमार सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक ३ श्री तारकिशोर प्रसाद,स०वि०स०

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

" यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि कटिहार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डंडखोरा पी०एम०जी०एस०वाई सड़क से सौरिया संथाली, सौरिया, बलूआ एवं पीरू-पीपरा होते हुए हसनगंज-द्वासय पी०एम०जी०एस०वाई० सड़क तक योजना मद से सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं कालीकरण करावे ।"

अध्यक्षः मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री वृषिण पटेल,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, संकल्पित पथ ग्रामीण कार्य विभाग का पथ नहीं है, यह एक ग्रामीण पथ है । इस पथ की कुल लंबाई ८ कि०मी० है । इस पथ के निर्माण पर लगभग ५६० लाख रूपये का व्यय अनुमानित है । इस पथ का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया गया है ।अगले वित्तीय वर्ष में निधि की उपलब्धता के अनुसार सरकार इसकी स्वीकृति पर विचार करेगी । वर्णित स्थिति में मा० सदस्य से अनुरोध है कि कृपया इस संकल्प को वापस लें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद जी आप अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे ?

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, यह सड़क दो प्रखंडों को और चार पंचायतों को जोड़ती है और उस क्षेत्र के लिए जीवन रेखा के समान है ।माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि निधि की उपलब्धता शब्द का प्रयोग किया है । महोदय, निधि की उपलब्धता तो योजना मद में रहती ही है । आपके माध्यम से मंत्री जी से आश्वासन चाहते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर नं०-१ में रखकर इसका निर्माण करा देंगे ।

श्री वृषिण पटेल,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा मैं कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्तावित पथ है वह ग्रामीण कार्य विभाग का नहीं है, यह ग्रामीण सड़क है फिर भी मैंने माननीय सदस्य के अनुरोध को स्वीकारा है कि ग्रामीण पथ रहते हुए भी सरकार इसको बनाने पर विचार कर रही है और निधि की उपलब्धता के आधर पर अगले वर्ष हम इस पर विचार करेंगे ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री तारकेश्वर प्रसाद जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ।

श्री तारकिशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय,माननीय मंत्री जी के आश्वासन के आलोक में हम इस प्रस्ताव को वापस लेते हैं ।

अध्यक्षः सदन की सहमति से मा० सदस्य, श्री तारकिशोर प्रसाद का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांकः-४ः-मा०सदस्य श्री जर्नादन सिंह सिंग्रीवाल।

श्री जर्नादन सिंह सिंग्रीवालः-अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ किः-

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सारण जिला अन्तर्गत रिविलगंज प्रखंड में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्मस्थली सिताबदियारा को पर्यटन स्थल घोषित कर उसके अनुरुप उस स्थल का विकास करें।"

श्रीमती रेणु देवी,मंत्रीः-आदरणीय अध्यक्ष जी,विभागीय पत्रांक-३२५ दिनांक ४.१२ द्वारा उक्त संकल्प को पर्यटन विभाग,बिहार,पटना को स्थानान्तरित कर दिया गया है क्योंकि यह विषय पर्यटन विभाग से ही संबंधित है। इसलिए मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वे इस संकल्प को वापस ले लें।

अध्यक्षः- माननीय सदस्य सिंग्रीवाल जी,आप तो उस विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं। मा०सदस्य सिंग्रीवाल जी,माननीय मंत्री ने आपसे आग्रह किया है,आप अपने इस प्रस्ताव को वापस लेंगे।

श्री जर्नादन सिंह सिंग्रीवालः-महोदय,तकनीकी कारणों से जो अभी परिस्थिति पैदा हो रही है, उसके आलोक में देखते हुए और आपके निदेश पर और माननीया मंत्री जी के आग्रह पर, मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूँ।

अध्यक्षः-सदन की सहमति से मा०सदस्य श्री जर्नादन सिंह सिंग्रीवाल जी का प्रस्ताव वापस हुआ।

क्रमांकः-५ः-मा०सदस्या श्रीमती नगीना देवी ।

माननीया सदस्या अनुपस्थित।

क्रमांकः-६ः-मा०सदस्य श्री विनोद नारायण झा।

श्री विनोद नारायण झाः-अध्यक्ष महोदय,मैं प्रस्ताव करता हूँ किः

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह वर्ष- २००३ में मिथिला शोध संस्थान एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा से कुल ३६ पांडुलिपियों की हुई चोरी की जांच सी०बी०आई० से कराने हेतु केन्द्र सरकार से सिफारिश करें।"

श्री हरिनारायण सिंह,मंत्रीः- अध्यक्ष महोदय,वस्तुस्थिति यह है कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के केन्द्रीय पुस्तकालय के दुलर्भ पांडुलिपियों की चोरी की जांच राज्य सरकार के निर्णयानुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने हेतु गृह (आरक्षी)विभाग, बिहार,पटना के अधिसूचना संख्या- ११८९८ दिनांक १३.१२.२००५ निर्गत की जा चुकी है।

अध्यक्षः- आपका संकल्प तो स्वीकृत हो चुका है। बैठिये।

श्री विनोद नारायण झाः- धन्यवाद।

अध्यक्षः- सदन की सहमति से यह संकल्प स्वीकृत हुआ।

क्रमांकः-७ः-मा०सदस्य श्री अजय कुमार।

माननीय सदस्य अनुपस्थित।

क्रमांक ८ (श्री देवनाथ यादव)

श्री देवनाथ यादवः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह ग्रामीण कार्य विभाग की अधिसूचना सं० १७१५ दिनांक २९.२.०८ एवं पथ निर्माण विभाग के पत्र संख्या १४९६३ (एस) दिनांक २४.१२.२००७ द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत घोघरडीहा-हटनी सहरसा पथ और नरहिया-परसा-सरौती-कुपहा पथ जो पथ निर्माण विभाग द्वारा अधिग्रहित है का वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में डी०पी०आर० तैयार करवाकर व्यापक जनहित में निर्माण करावें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

श्री प्रेम कुमार (मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, घोघरडीहा--हटनी-सहरसा पथ ग्रामीण कार्य प्रमंडल, झंझारपुर द्वारा हस्तानांतरण किया गया है। इस पथ की लम्बाई ५.२ कि०मी० है। १.९ कि०मी० पी०सी०सी० कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है । कार्य मार्च,२००९ तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। बाकी लम्बाई कोशी नदी के भाग में पडता है जिसमें वर्त्तमान में कार्य कराना संभव नहीं है।

नरहिया-परसा-सरौती-कुपहा पथ - इस पथ का हस्तानान्तरण ग्रामीण कार्य प्रमंडल, झंझारपुर से अभी नहीं किया गया है। हस्तानान्तरण होने के उपरांत डी०पी०आर० तैयार कर कार्य कराया जाएगा । मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री देवनाथ यादवः माननीय अध्यक्ष महोदय, नरहिया-परसा-कुपहा पथ का दायित्व रहित प्रमाण पत्र आर०ई०ओ० ने पी० डब्लू० डी० डिवीजन, मधुबनी को दे दिया है । अब दोनों पथों का अधिग्रहण पी०डब्लू० डी० में इसीलिए किया गया है कि इन पथों की काफी महत्ता है, तो २००४ में इसीलिए पथ निर्माण विभाग ने अपने नियंत्रण में इन दोनों पथों को लिया और कोशी नदी और भूतही नदी पलायन कर चुकी है, इसलिए इन पथों के नव निर्माण में कोई बाधा अब नहीं रह गयी है। माननीय मंत्री जी कर्मठ हैं, इसलिए कुछ साकारात्मक आश्वासन दें, बनाने की दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दें और सड़क बनाने की बात मैं कह रहा हूँ जो व्यापक जनहित में है - सड़क बनाना इस सरकार की पहली प्राथमिकता है लेकिन माननीय मंत्री जी थोड़ी-सी ढिलाई बरत रहे हैं, थोड़ी मजबूती से बात को लें ।

श्री प्रेम कुमार,मंत्री : महोदय, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि इस पथ की लम्बाई ५.२ कि०मी० है, उसमें १.९ कि०मी० पी०सी०सी० कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है और यह कार्य मार्च,२००९ तक पूरा करा लिया जायगा । शेष पथ की जानकारी इन्होंने दिया है, वहां सड़क बन सकती है लेकिन विभाग के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसका बाकी नदी में पड़ता है । इसलिए वहां बिटूमेन का कार्य कराना संभव नहीं है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, पुनः मैं दिखवा लेता हूँ और दिखलाने के बाद विभाग विचार करेगी । दूसरा इनका पथ नरहिया-परसा-सरौती-कुपहा पथ - इस पथ का स्थानान्तरण ग्रामीण कार्य प्रमंडल, झंझारपुर के द्वारा अभी नहीं किया गया है। जैसे ही ट्रांसफर कर दिया जायेगा, हम डी०पी०आर० तैयार करा करके हम सड़क का

निर्माण करवा देंगे। माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करता हूं कि कृपया वे अपना संकल्प वापस ले लें ।

श्री देवनाथ यादवः अध्यक्ष महोदय, फिर मैं कह रहा हूँ कि इनका प्रतिवेदन अभी भी भ्रामक है, अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण नहीं देंगे, माननीय मंत्री का प्रतिवेदन बिल्कुल भ्रामक है,

अध्यक्ष : माननीय सदस्य देवनाथ जी ।

श्री देवनाथ यादव : अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षण नहीं देंगे । माननीय मंत्री जी का प्रतिवेदन बिल्कुल भ्रामक है । घोरघरडीहा -हटनी- सहरसा पथ की लम्बाई १४ कि०मी० है और एक फीट भी अधिक नहीं हो सकता है। इसमें आर०ई०ओ० के जो दायित्व में था पांच कि० मी०, उसमें साल भर पहले दे दिया है दायित्व रहित प्रमाण पत्र और उसमें से लगभग दो कि०मी० का टेंडर भी निकल गया । रेस्ट जो हमारा ९ कि० मी० है, उसमें कहीं नदी नहीं है, उसी पर मुख्यमंत्री सेतु बन रहा है हटनी के पास । इस तरह का भ्रामक प्रतिवेदन और इस तरह का जबाब आयेगा तो इस सदन का कोई कीमत नहीं रह जायेगा, अध्यक्ष महोदय। इसलिए हमारी चुनौती सरकार स्वीकार करे और नरहिया-परसा-सरौती- कुपहा पथ २४ कि०मी० का है, २३-२४ कि०मी० लंबा है, उसमें केवल मानीयय मंत्री केवल मिट्टी का सड़क बना दे, उससे अधिक हमको इस वित्तीय वर्ष में आवश्यकता नहीं है चूंकि वह सड़क ग्राउंड लेबल से नीचे चला गया है भूतही बलान नदी की वजह से ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य,श्री देवनाथ जी, आप बैठिये । माननीय मंत्री ने बहुत ही साकारात्मक ढंग से आपके प्रस्ताव का जबाब दिया है और आपसे आग्रह किया है कि क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते है ?

श्री देवनाथ यादव ठीक है, अध्यक्ष महोदय, जब आपका हुकूम होता है तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूँ । माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ, आप एक कर्मठ मत्री जी हैं, काम करनेवाले हैं, इसलिए मंत्री जी आश्वासन तो दें ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री देवनाथ यादव जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रमांक ०९ माननीय सदस्य श्री सच्चितानन्द यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक १० माननीय सदस्य श्री कृष्णनन्दन प्र०वर्मा ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक ११ माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक १२ माननीय सदस्य श्री महेन्द्र नारायण यादव।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

क्रमांक १३ माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि बेगूसराय जिलान्तर्गत शाम्हो-अकहा-कुरहा प्रखंड के अकबरपुर बरारी, सेदपुर सलहा बरारी-I सैदपुर सलहा बरारी - II पंचायत की अनुसूचित / अति पिछड़ी / पिछड़ी जाति के हजारो परिवार को पर्चा निर्गत करने की अविलंब व्यवस्था करें ।"

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, गैर-मजरूआ मालिक, सरकारी भूमि ग्रामीण क्षेत्र में सभी सुयोग्य श्रेणी के परिवार के साथ बंदोवस्त करने का निर्देश बेगुसराय समेत सभी समाहर्त्ता को दिया गया है । इसके अलावे ग्रामीण क्षेत्र मे पूर्व से रैय्यती भूमि पर बसे भूमिहीन,आवासहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवार को बिहार .... परसन्स होम टिनेन्सी एक्ट के तहत बासगीत पर्चा निर्गत करने का भी निर्देश सभी समाहर्त्ताओं को दिया गया है । फिर भी माननीय सदस्य की भावना की कद्र करते हुये समहार्त्ता, बेगुसराय को संकल्प में वर्णित ग्रामों का विशेष अभियान के तहत सर्वेक्षण कर वर्णित समुदाय के सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ बंदोवस्ती/पर्चा देने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है ।

अतः माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस लेने की कृपा करें ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि शाम्हो-अकहा-कुरहा प्रखंड में लगभग ५०हजार परिवार ५०वर्षों से रैय्यती

जमीन पर मालिक की जमीन पर झोपड़ पट्टी बनाकर अपना जीवन-बसर कर रहे हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ६० वर्षों से वहां के परिवार पशु का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बंधुआ मजदूर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जिस के कारण सरकार की जन-कल्याणकारी योजना का लाभ सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है यह कह करके कि आपके पास भूमि नहीं है, इन्दिरा आवास ले कर क्या कीजियेगा ? मैं माननीय मंत्री जी से समय चाहूंगा दो महीना, चार महीना, छः महीना समय तय करें और वहां शिविर लगा कर के परिवार को चिन्हित करके पर्चा निर्गत करने की व्यवस्था कब तक करेंगे ?

अध्यक्ष : यह तो प्रश्न हो गया । आप का प्रस्ताव है । माननीय मंत्री ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव,मंत्री :महोदय, मैंने अपने जवाब में कहा कि ५.१२.२००८को ही माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है तो उसके लिए विशेष अभियान चला करके हमने कलक्टर को आदेश दे दिया है । फिर भी मैं इसको निश्चित रूप से देखूंगा, यथाशीघ्र जो इसमें सुयोग्य श्रेणी के लाभार्थी हैं उनको अविलंब पर्चा निर्गत किया जायेगा ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री नरेन्द्र कु०सिंह : अध्यक्ष महोदय, यथाशीघ्र और कलक्टर को पत्र लिखना बड़ा ही आसान बात है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि ३-४ महीने का समय निश्चित कर दें कि शिविर लगा कर इसकी व्यवस्था करें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपके प्रस्ताव के पक्ष में बहुत ही सकारात्मक जवाब दिया है । बेगुसराय जिला के समाहर्त्ता को पत्र लिखकर यथाशीघ्र कारवाई करने का आदेश दिया है । क्या आप माननीय मंत्री जी के आग्रह पर अपना प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री नरेन्द्र कु०सिंह : प्रस्ताव वापस तो ले ही लेंगे । लेकिन मेरा एक आग्रह है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

श्री नरेन्द्र कु०सिंह : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह जी का प्रस्ताव वापस हुआ ।

क्रम संख्या-14(श्री राजकिशोर केशरी)

श्री राजकिशोर केशरी: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्णियां जिला के पूर्व प्रखंड के अन्तर्गत महराजपुर पंचायत के पितंगिरा गांव वीरपुर पंचायत के सिमलगाछी गांव एवं रामपुर पंचायत नया टोला गांव एवं शहरी क्षेत्र के बार्ड नं.-36 के महराजी टोला में शीघ्र विद्युतीकरण करावें।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह(मंत्री) अध्यक्ष महोदय,पूर्णियां जिलान्तर्गत पूर्व प्रखंड के अन्तर्गत ग्राम पितंगिरा, सिमलगाछी एवं रामपुर पंचायत के नया टोला गांव का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत किया जाना है और वहां यह भेजा जा चुका है। शहरी क्षेत्र के बार्ड नं0-36 के महाराजीटोला के विद्युतीकरण हेतु इसे वार्षिक योजना 2009-10 में शामिल किया जा रहा है और इसका कार्य कराया जायेगा इसलिए माननीय सदस्य से कहेंगे कि सरकार का सार्थक एप्रोच है, वे इसे वापस ले लें।

अध्यक्ष: क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव को वापस लेंगे?

श्री राजकिशोर केशरी: अध्यक्ष महोदय,उन्होंने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत किया जा रहा है। मैंने पिछले वर्ष भी, पिछले सत्र में भी यह प्रश्न उठाया था और जवाब भी यही मिला था, इसी गांव का, आज फिर वही जवाब मिल रहा है, पूराना ही जवाब मिल है लेकिन यह हो नहीं रहा है, विद्युतीकरण वहां हो नहीं रहा है,वहां काफी दिन से किसान बेहाल है, कृषि कार्य बाधित है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह(मंत्री) अध्यक्ष महोदय,केशरी जी का प्रश्न जो है, मैं यह बात स्वयं स्पष्ट करना चाहता हूं, इनको जानना चाहिए, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और साथ -साथ पावर ग्रीड कॉरपोरेशन, यह जो है भारत सरकार का दोनों संस्था है, दोनों संस्था कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रही है। राज्य सरकार ने बार-बार इस ओर भारत सरकार का घ्यान आकृष्ट किया है लेकिन वो कारगर ढंग से काम नहीं कर पा रही है इसलिए बिलम्ब हो रहा है लेकिन सरकार की जो मंशा है, उसको हमने उत्तर में रखा है और हमारे जानते माननीय सदस्य काफी सुझबूझ बाले हैं वे बात को समझ रहे हैं कि सरकार की गलती इसमें नहीं है इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वापस ले लें और हम कोशिश करेंगे कि इसका क्रियान्वयन करवा दें।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य केशरी जी,माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में उन्होंने आपसे अनुरोध किया है वापस लेने के लिए, क्या आप इस प्रस्ताव को वापस लेंगे?

श्री राजकिशोर केशरी: अध्यक्ष महोदय,राजीव गांधी विद्युतीकरण का कार्य उस जिले में एकदम फेल्योर है। मैंने डी0जी0एम0 से मिला, वो कह रहे हैं कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है,हम नहीं कर पायेंगे, वहां आप बात कीजिये कि बिजली बोर्ड ही करे और यह पावर ग्रीड जो उस जिले में काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह(मंत्री) अध्यक्ष महोदय,मुझे एक बार फिर प्रयास करने दीजिये अगर नहीं होगा तो हम बोर्ड से करायेंगे।

श्री राजकिशोर केशरी: कबतक?

अध्यक्ष: आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते है?

श्री राजकिशोर केशरी: वापस लेता हूँ।

अध्यक्ष: सदन की सहमति से श्री राज किशोर केशरी का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी के जवाब के आलोक में वापस हुआ।

<u>क्रम संख्या-15(श्री प्रदीप कुमार)</u>

श्री प्रदीप कुमार: मैं प्रस्ताव करता हूं कि

यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह नवादा जिला में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करे।

श्री शाहिद अली खां(मंत्री) अध्यक्ष महोदय,इस संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा नवादा जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय के स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है। निजी क्षेत्र में अगर कोई अभियंत्रण महाविद्यालय खोलना चाहे तो विभाग द्वारा कोई आपत्ति नहीं होगी। इसलिए हमारा माननीय सदस्य से आग्रह होगा कि वे अपना प्रस्ताव वापस ले लें।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रदीप कुमार जी, माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में अपना प्रस्ताव वापस लेंगे ?

श्री प्रदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिला आपके प्रमंडल में भी अवस्थित है, आप देखेंगे कि नवादा जिला मेंसिर्फ एक आई0टी0आई0 छोड़कर कुछ है ! पटना से कोई भी, यहां से चलता है तो बीच में नालन्दा जिला है औ।र नालन्दा जिला में जा कर फंड स्थगित हो जाता है, इसलिए हम मंत्री जी से चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, आपके सहमति से, वचन देते हैं कि आने वाले समय में जो आप इंजीनियरींग कॉलेज खुलने जा रहा है उसमें नवादा का नाम आवे , नवादा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुले ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री शाहिद अली खॉं,मंत्री: महोदय, निजी तौर पर अगर कोई खोलने वाले हों तो शुरू करा दें । विभाग उनको मदद करेगी और विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, क्या आप अपने प्रस्ताव को, माननीय प्रदीप कुमार जी, माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में वापस लेंगे ?

श्री प्रदीप कुमार: अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आपको उन्होंने आग्रह किया है ।

श्री प्रदीप कुमार: महोदय, सरकारी कॉलेज का हमने प्रस्ताव रखा है अध्यक्ष महोदय ..

अध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव को वापस लेते हैं माननीय सदस्य प्रदीप कुमार जी ?

श्री प्रदीप कुमार: वापस लेता हूं ।

अध्यक्ष : सदन की सहमति से श्री प्रदीप कुमार जी का प्रस्ताव माननीय मंत्री के जवाब के आलोक में वापस हुआ ।

अब गैर सरकारी संकल्प से संबंधित शेष सूचनाएं विधायी कार्य के बाद लिए जाएंगे ।

अब सभा की कार्यवाही 2.00बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

अन्तराल।

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष : वित्तीय वर्ष २००८-०९ के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या ४१ हैं । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है । किसी एक विभाग के अनुदान की माँग के प्रस्ताव पर वाद-विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान होगा । शेष माँगों का व्यवस्थापन गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा ।

अब मैं माँग संख्या-२०, स्वास्थ्य विभाग को लेता हूँ, जिस पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा इसके लिए ३ घण्टे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी में सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

जनता दल (यूनाईटेड)	-	६७ मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	४० मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	-	४० मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	०७ मिनट
कांग्रेस पार्टी	-	०६ मिनट
माले पार्टी	-	०४ मिनट
बहुजन समाज पार्टी	-	०४ मिनट
सी०पी०आई०	-	०२ मिनट
माकपा	-	०१ मिनट
नेशनल कांग्रेस पार्टी	-	०१ मिनट
अखिल जन विकास पार्टी	-	०१ मिनट
निर्दलीय	-	०७ मिनट
कुल	-	१८० मिनट

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि -

"स्वास्थ्य विभाग के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजना के लिए "स्वास्थ्य विभाग" के संबंध में ३१ मार्च, २००९ को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विधान